राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर
बी–39, सरदार पटेल मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर–302001, राजस्थान

Rajasthan Nursing Council, Jaipur
B-39, Sardar Patel Marg, C-Scheme,
Jaipur – 302001, Rajasthan

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan

क्रमांक : आरएनसी / शैक्ष0 / 2024 / 36 दिनांकः 06-02-2024

प्रधानाचार्य,
समस्त निजी नर्सिंग स्कूल / कॉलेज
(राजस्थान नर्सिंग कौंसिल से सम्बद्ध)
राजस्थान।

विषय :– प्रशिक्षण सत्र 2023–24 में प्रशिक्षणार्थीयों से अधिक फीस वसूलने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 14(1)एमई / ग्रुप–1 / 2020 दिनांक 26.10.2022 द्वारा राज्य में संचालित निजी नर्सिंग स्कूल / कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रम हेतु फीस निर्धारित की गयी है (प्रति संलग्न है) परन्तु यह संज्ञान में लाया गया है कि काउन्सलिंग में चयन पश्चात प्रशिक्षणार्थियों से प्रवेश के समय निजी नर्सिंग संस्थानों द्वारा निर्धारित फीस के अलावा भी अतिरिक्त राशि वसूलने की शिकायते प्राप्त हो रही हैं, जो कि अनुचित है।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि नर्सिंग के विभिन्न पाठ्यक्रमों में काउन्सलिंग द्वारा चयनित प्रशिक्षणार्थियों से प्रवेश के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस नहीं ली जावे। यदि इस संबधं में किसी भी प्रशिक्षणार्थी से उक्त के संबंध में शिकायत कौंसिल कार्यालय में प्राप्त होती है तो आपके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान की होगी। उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार

(डॉ. शशिकान्त शर्मा)
रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

क्रमांकः–आरएनसी / शैक्ष0 / 2024 / 36 दिनांक 06-02-2024

प्रतिलिपी :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं एवं पदेन अध्यक्ष (आरएनसी) जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : प्रशि. / एम–133 / 2024 / 43 दिनांक : 05.02.2024 के क्रम में।
3. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविधालय, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार
राजस्थान नर्सिंग कौंसिल
जयपुर

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रप–1) विभाग

कमांक प. 14(1)एम.ई. / ग्रुप–1 / 2020 जयपुर, दिनांक: 26 OCT 2022

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडेमी ऑफ एजुकेशन बनाम कर्नाटक राज्य में दिये गये निर्णय के अनुसरण में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा विभिन्न पहलुओं के परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत राज्य के निजी नर्सिंग, पैरामेडिकल एवं फिजियोथैरेपी कॉलेजों के निम्न पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अंतरिम शुल्क संरचना निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

Course	Academic Year 2022-23	Academic Year 2023-2024	Academic Year 2024-2025
G.N.M.	60,000/-	63,000/-	66,000/-
B.Sc. Nursing	85,000/-	90,000/-	95,000/-
Post Basic B.Sc. Nursing	85,000/-	90,000/-	95,000/-
M.Sc. Nursing	1,30,000/-	1,35,000/-	1,40,000/-
Physiotherapy	80,000/-	85,000/-	90,000/-

Hostel Charges

S.N.	Room	Charges (Rs.) per Anum
1.	Single Room	18,000/-
2.	Double Room	14,400/-
3.	Triple Room	12,000/-

1. मैस हेतु मासिक रूप से वास्तविक व्यय के आधार पर निर्धाति की गयी राशि छात्रों से सहकारिता के आधार पर ली जायेगी। छात्रावास के बिजली आपूर्ती के बिलों की राशि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के मध्य समान रूप से समविभाजित की जावेगी।
2. कालेज में प्रवेश के समय एक ही बार कॉशन मनी ली जायेगी जो कोर्स पूरा करने पर वापस की जाएगी।
3. उपरोक्त के अतिरिक्त सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पंजीकरण शुल्क तथा परीक्षा शुल्क वसूल किया जा सकेगा।
4. उक्त कॉलेज औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से उपरोक्त शुल्क के अलावा किसी भी तरह का शुल्क अथवा डोनेशन, विकास शुल्क, लैबोरेटरी शुल्क, अस्पताल शुल्क, लाइब्रेरी शुल्क इत्यादि छात्रों से वसूल नहीं करेंगे उक्त कॉलेज यदि ऊपर वर्णित शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क वसूल करते हैं तो वह कैपिटेशन शुल्क की परिभाषा में माना जायेगा एवं तदानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आज्ञा से

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा शिक्षा एवं सदस्य सचिव, शुल्क
रेगुलेटरी कमेटी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. माननीय जस्टिस, एस.एन. भार्गव, अध्यक्ष, शुल्क निर्धारण समिति, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
6. सदस्यगण, शुल्क निर्धारण समिति, राजस्थान, जयपुर।
7. आयुक्त, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. प्रधानाचार्य संबंधित नर्सिंग / फिजियोथैरेपी महाविद्यालय।
10. रक्षित पत्रावली।

(इकबाल खान)
शासन संयुक्त सचिव